

26/5/23

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर रुद में पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं वादी व प्रति-वादी स्वयं हाजीर। अधिवक्ता वादी एवं वादी द्वारा अपने वाद पत्र को इसी स्तर पर विडोल किए जाने हेतु प्राथम पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी स्वयं अपना वाद पत्र में आगे कार्यवाही नहीं चाहता है। पत्रावली का अवलोकन किया मदन किया गया। वादी अपने वाद पत्र को विडोल में खारिज करवाना चाहता है ऐसी स्थिति में वादी का वाद विडोल में खारिज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्ड्रज कि जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भेजी जाएं। निर्णय खुले मजमें आम प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर रुद में सुनाया गया।

(नीता कसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी



देवी (31)
C 3

21/5/23

Rehm



क्रि भोन